

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा, (जालोर)
जिला - जालोर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: R)/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ. जा./अ. ज. जा.) /23550046729
दिनांक: 03-08-2023
आवेदक का आधार नम्बर: 956429498844
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या: 5130624655

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मथुरा राम पुत्र/पुत्री श्री रेवा राम, माता का नाम - श्रीमती रामु देवी , गांव/नगर दांतवाड़ा, रानीवाड़ा, जालोर जिला/डिवीजन जालोर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जन्म व कर मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री मथुरा राम गांव/नगर दांतवाड़ा, रानीवाड़ा, जालोर जिला / डिवीजन जालोर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

- यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एक.21(37) एस.जे.ई./कम्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध करण्य गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- प्राप्ति को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 230567666462

उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा, (जालोर)

Signature valid

Digitally signed by
KUSUMLATA CHAUHAN
Date: 2023.08.03 12:17:18
+05:30
Reason: I have signed
Location: Rajasthan

